



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - सी संख्या - 561 वर्ष 2026

महा बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भंते ज्ञानलोक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव गृह मंत्रालय और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनुपम मेहरोत्रा, अनिल कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता, अभिषेक मिश्रा, आरती

गांगुली, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हेमंत कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या-3

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

1. केंद्र सरकार द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत निर्देश अभिलेख पर ले लिए गए हैं।
2. प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा आज न्यायालय में दाखिल रिट याचिका को खारिज करने का आवेदन साथ ही संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र भी अभिलेख पर ले लिया गया है।
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे की सहायता से श्री एस.बी. पांडे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डीएसजीआई, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा के तर्कों को सुना गया।
4. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाएँ की हैं:-

"(1) उत्प्रेषण / मेंडमस की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.12.2025 के आवेदन (संलग्नक संख्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

23, रिट याचिका) के माध्यम से दी गई जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करे जिससे पहले दिनांक 28.01.2025 और 17.06.2025 के आवेदन (संलग्नक संख्या 21 और 22 रिट याचिका) दिए गए थे ताकि यथाशीघ्र प्रत्यर्थी संख्या 6 (जो पहले चीन का नागरिक था और अब देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है) को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सके। इसका आधार यह है कि उसने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10(2)(ए) के अर्थ के भीतर धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर देशीयकरण का प्रमाण पत्र (संलग्नक संख्या 3 रिट याचिका) प्राप्त किया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम 1955 की धारा 10(3) के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 6 का भारत के नागरिक के रूप में बने रहना लोक हित हेतु अनुकूल नहीं है;"

(2) उत्प्रेषण / मेंडमस की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य प्रत्यर्थियों और राज्य की अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को यह आदेश दिया जाए कि वे ऊपर प्रार्थना संख्या 1 में की गई प्रार्थना के अनुसार कार्रवाई करने में प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहायता करें।

5. रिट याचिका में किए गए कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने गृह विभाग के सचिव के समक्ष शिकायत की है। याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार कार्रवाई की जाए, यह एक स्वतःपूर्ण संहिता है जो किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रावधान करती है। उक्त धारा के अंतर्गत बनाए गए नियम, नागरिकता नियम, 2009 के नियम 25, 26 और 27 हैं।

6. केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित हुए भारत के माननीय उप अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि याचिकाकर्ता के लिए यह उचित होगा कि वह कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करे, जो तत्पश्चात् राज्य सरकार को एक आख्या अग्रेषित करेंगे, और वह आख्या बदले में आगे की कार्रवाई हेतु केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

7. संबंधित धाराओं और नियमों की जाँच करने पर हमारा यह मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए और अधिकारियों द्वारा विधि के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि आवेदन में पर्याप्त सामग्री है, तो केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाँच प्रारम्भ करे। दूसरी ओर यदि याचिकाकर्ता के आवेदन में कोई सामग्री मौजूद नहीं है, तो केंद्र सरकार उचित कारणों के साथ आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर सकती है।

8. इसी के दृष्टिगत हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह विधि के अनुसार कार्रवाई करे और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर आज की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. यदि केंद्र सरकार जाँच प्रारम्भ करने का निर्णय लेती है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह नागरिकता नियम, 2009 के नियम 25, 26 और 27 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी और विधि के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 6 को नोटिस देगी।
10. उपर्युक्त निर्देश के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
11. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रकरण के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है।

24 मार्च 2026

सीकेएस/-

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।